मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ 9581 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013, भोपाल, दिनांक 17/12/ 2013

प्रति,

1. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0
   जिला–समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म0प्र0
   जिला–समस्त
3. कार्यपालन यंत्री,
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त)

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रेवल सड़कों के निर्माण (ग्राम एवं मजरे–टोले जो PMGSY/CMGSY में शामिल नहीं है) हेतु "सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क" उपयोजना।

––0––

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित आबादी के गांवों को जोड़ने के लिए सड़कें तैयार की ज़ा रही हैं जबकि मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ऐसे गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं लिए जा सके हैं। कई गांवों के मजरे टोले तथा खेत समूहों के लिए सड़कें एवं मोबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एक से अधिक सड़क सम्पर्क की आवश्यकता प्रतिपादित हुई है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा एक्ट तथा मार्गदर्शिका के अनुसार बारहमासी मार्गो का निर्माण अनुमत है एवं सड़क निर्माण चरणबद्ध किया जा सकता है। तद्नुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत एवं आवश्यकता पड़ने पर अभिसरण से इन मार्गो के निर्माण का कार्य किया जावे।

बिना पुल–पुलियों के निर्माण कार्य सम्पन्न किए सड़क सम्पर्क पूर्ण नहीं हो सकता अतः पुल–पुलियों का निर्माण कार्य भी इस उपयोजना में सम्पन्न किया जावेगा। प्रत्येक कार्य के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पुल–पुलिया निर्माण सहित पूर्ण प्राक्कलन तैयार किए जाकर नियमानुसार स्वीकृतियॉ दी जावेंगी। यदि निर्माण कार्य के प्राक्कलन के अनुसार मजदूरी पर न्यूनतम 60% से कम आंकलित होने पर एवं ग्राम पंचायत/विकासखंड (जैसी भी स्थिति हो) स्तर पर निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 संधारण में कठिनाई होने पर निर्माण कार्य अभिसरण के तहत संपन्न किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार मुख्य सड़क से जोड़े जाने के लिए पुल–पुलियों सहित ग्रेवल की सड़क से उपलब्ध करवाये जाने वाला सड़क सम्पर्क CMGSY मापदण्ड अनुसार ही होगी। ग्रेवल सड़के तब तक टिकाऊ नही हो सकती जब तक की उनका नियमित संधारण

सुनिश्चित न हो सके। अतः निर्माण कार्य के साथ ही सीमित अवधि (न्यूनतम दो वर्ष) के लिए नियमित संधारण को संबद्ध करना अपरिहार्य होगा। इस कार्य को संपन्न करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः–

1. **कार्य की स्वीकृति की प्रक्रियाः**

(a). योजनान्तर्गत किसी भी कार्य हेतु भू–अर्जन नहीं किया जाना है अतएव निस्तार पत्रक/वाजिब–उज–अर्ज में अंकित मार्गों को प्रस्तावित उपयोजना अंतर्गत लिए जाने का ध्यान रखा जावे। ग्राम पंचायत अंतर्गत प्रस्तावित सडकों का चिन्हांकन ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, सरपंच एवं उपयंत्री के द्वारा ग्राम वासियों के साथ वाक थ्रू सर्वे कर, चिन्हित सडकों की सूची तैयार की जावे। यह ध्यान रखा जावे कि चिन्हित सडक PMGSY/CMGSY/PWD द्वारा प्रस्तावित नहीं है न ही पूर्व में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत निर्मित हुई है संलग्न प्रपत्र–1 अनुसार सूची तैयार कर कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण से प्रपत्र–1 में ही सत्यापन कराया जावे। तदोपरांत मनरेगा के प्रावधानो के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा नियमानुसार अनुमोदन किया जाकर कार्यो को शेल्फ आफ प्रोजेक्ट एवं ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाए।

(b). इन कार्यो के लिए विस्तृत तकनीकी अनुदेश एवं सांकेतिक प्राक्कलन संलग्न किये गये है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक निर्माण कार्यो को संपादित करने के लिए इन तकनीकी अनुदेशो एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला दर अनुसूची के आधार पर आवश्यक सर्वेक्षण उपरांत तकनीकी प्राक्कलन तैयार किये जाए।

(c). पुल पुलियों सहित ग्रेवल सड़कें तब तक टिकाऊ नही हो सकती जब तक की उन पर आवश्यकतानुसार संधारण कार्य न किया जाए। अतः संधारण को निर्माण से संबद्ध करते हुए इन सड़क निर्माण कार्यो के प्राक्कलन दो भागो मे बनाये जावेगे। प्रथम भाग पुल पुलियों सहित सड़क निर्माण का होगा एवं दूसरा भाग निर्माण पूर्ण होने के बाद 2 वर्ष तक सड़क के संधारण के लिए होगा। प्राक्कलन के साथ तकनीकी प्रतिवेदन अनिवार्यतः तैयार किया जावेगा। तकनीकी प्रतिवेदन में निर्माण कार्य की उपयोगिता के रूप में लाभान्वित होने वाले ग्राम, मजरे–टोले उनकी जनसंख्या का उल्लेख किया जावे। ग्राम के उत्पादक केन्द्रों अर्थात् खेत से सडक संपर्क जोडे जाने पर लाभान्वित होने वाले कृषक समूह, भूमि हेक्टे. में व संभावित कृषि उपज की मात्रा जिसका परिवहन खेत से घर तक या कृषि उपज मंडी/अन्य विकय केन्द्र तक होना है, ऐसे स्थलों का विवरण देते हुये परिवहन कार्य में होने वाली समय की बचत का भी उल्लेख सडक निर्माण से होने वाले आउटकम के रूप में किया जावे।

(d). निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति भी दो भागो मे होगी। निर्माण कार्य भाग–1 में पुल पुलियों सहित सड़क निर्माण की तकनीकी स्वीकृति राशि एवं संधारण कार्य भाग–2 की तकनीकी स्वीकृति राशि का उल्लेख स्वीकृति आदेश मे पृथक–पृथक किया जावेगा।

(e). उपरोक्तानुसार ही कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी जिसमें निर्माण कार्य भाग–1 की स्वीकृति राशि एवं संधारण कार्य भाग–2 की स्वीकृति राशि का उल्लेख प्रशासकीय स्वीकृति आदेश मे पृथक–पृथक किया जावेगा। एमआईएस मे इस निर्माण कार्य के भाग–1 एवं भाग–2 के पृथक कार्य के रूप मे दर्शाया जावेगा यह स्पष्ट किया जाता है कि नियमित संधारण (Routine Maintenance) मरम्मत अथवा रिपेयर की श्रेणी मे नही आता एवं इसे मूल कार्य के रूप मे ही माना जावेगा।

(f). यह स्पष्ट किया जाता है कि पुल पुलियों सहित सड़क निर्माण कार्य भाग–1 पूर्ण हो जाने पर तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लेख अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा एवं तद्नुसार ही लेखा संधारण किया जावेगा। नियमित संधारण कार्य भाग–2 तब ही प्रांरभ किया जायेगा जबकि निर्माण कार्य भाग–1 का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो चुका हो। प्राक्कलन में प्रावधान के अंतर्गत ही व्यय किया जा सकेगा।

(g). इन कार्यो का संपादन ग्राम पंचायतो के माध्यम से किया जा सकेगा।

(h). इन सड़को पर आने वाले पुल–पुलियो का निर्माण सड़क के साथ करने मे यदि मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अनुसार 60:40 होता है तो उक्त अनुपात को संधारित करते हुए पुल–पुलियो का कार्य भी सड़क के साथ ही शामिल करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जावे।

(i). यदि सड़क पर आने वाले पुल–पुलिया के निर्माण को करने मे मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अनुसार 60:40 नही होता है तो भी प्राक्कलनों की स्वीकृति पुल–पुलियो सहित ही की जावेगी। परन्तु मनरेगा एक्ट मार्गदर्शिका के तृतीय संस्करण 2008 के अध्याय 14 में उल्लेखित अभिसरण से इस उपयोजना में नियमानुसार कार्य स्वीकृत किया जाकर सम्पन्न किया जायेगा।

(j). अभिसरण के लिये निम्न योजनाओं के विकल्प उपलब्ध हैः–

(i). पंच परमेश्वर
(ii). बीआरजीएफ/आईएपी
(iii). परफारमेंस ग्रान्ट, जिन जिलों में बीआरजीएफ लागू नहीं है।
(iv). अधोसंरचना सुधार कार्यो हेतु उपलब्ध राशि
(v). सांसद/विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि
(vi). जन सहयोग की राशि
(vii). अन्य कोई उपलब्ध संसाधन अथवा योजना

(k). कार्यो की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व प्राक्कलन अनुसार मनरेगा एवं अभिसरण अंतर्गत पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता एवं सक्षम स्वीकृति सुनिश्चित की जावे।

(l). अभिसरण के प्रत्येक प्रकरण में अभिसरण के वर्तमान निर्देशों के अनुरूप प्रशासकीय स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा दी जायेगी। जिन ग्रेवल सडकों का निर्माण मनरेगा के प्रावधान अनुसार मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 में किये जाने की स्थिति रहती है, उनकी तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी की जा सकेगी।

(m). यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क एवं पुल–पुलिया से संबंधित स्वीकृतियां एक साथ जारी हो।

2. वित्तीय व्यवस्था एवं लेखा संधारणः

(a). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पूर्ण नियम लागू होते हुये इन निर्माण कार्यो के लिए राशि की व्यवस्था मनरेगा एवं अन्य प्रचलित योजनाओं के अभिसरण से की जावेगी।

(b). कार्य की एजेन्सी ग्राम पंचायत होने के कारण लेखा संधारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जावेगा एवं आंकेक्षण संबंधित एजेन्सी, महालेखाकार एवं सनदी लेखाकार द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार किया जावेगा।

(c). अभिसरण से किये जाने वाले कार्य के लेखों का संधारण संबंधित स्कीम के प्रावधानों के तहत किया जाना होगा।

(d). प्रत्येक कार्य का सामाजिक आंकेक्षण नियमानुसार ग्राम सभा मे होगा।

3. कार्यो का क्रियान्वयनः

(a). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में संपन्न हो रहे अन्य कार्यो की तरह ग्राम पंचायत के कार्यो हेतु जारी नवीन परिपत्र क. 2 दिनांक 20.02. 2013 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार ही ई–मस्टर रोल पद्धति से इन कार्यो का संपादन होगा।

(b). ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम स्तर पर कार्य का प्रचार–प्रसार करते हुए उपयंत्री की सहायता से सेटिंग आउट (ले–आउट) दिया जावेगा जिससे अकुशल श्रम के इच्छुक जाबकार्डधारी मजदूरो को आसानी से कार्य उपलब्ध हो सके।

(c). प्रत्येक निर्माण कार्य पर एक निर्धारित पक्का सूचना फलक लगाया जावे।

(d). इन निर्माण कार्यो में मिट्टी एवं ग्रेवल का कार्य तो होना है परन्तु मिट्टी एवं ग्रेवल के परिवहन, पानी के छिडकाव एवं काम्पेक्शन करने के लिए निर्धारित ट्रक या ट्रेक्टर, पानी का टैंकर एवं रोलरो की आवश्यकता होगी। ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि निर्माण कार्य संपादन करने की योजना उपयंत्री के मार्ग दर्शन में तैयार करे एवं यथा समय आवश्यक ट्रक या ट्रेक्टर, पानी का टैंकर एवं रोलरो आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(e). उपयंत्री का यह दायित्व होगा कि निर्माण कार्य संपादन में आवश्यक सामग्री एवं शिल्प कौशल के लिए निर्धारित प्रयोगशाला एवं फील्ड टेस्टिंग का कार्य वे स्वयं संपन्न करेगे एवं समस्त टेस्ट रिकार्ड स्थल पर उपलब्ध होना सुनिश्चित करेगे। यह

ग्राम पंचायत एवं उपयंत्री का सम्मिलित दायित्व होगा कि निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता का ही हो।

4. **मूल्यांकन एवं मजदूरी का भुगतानः** मूल्यांकन का कार्य संबंधित उपयंत्री मनरेगा अथवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा साप्तहिक मस्टर रोल क्लोजर से 3 दिवस के अंदर किया जावेगा एवं दिनांक 01.04.2013 से लागू ईएफएमएस प्रणाली के माध्यम से मजदूरी एवं सामग्री के भुगतान की कार्यवाही निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुये जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ के माध्यम से संबंधितों के बैंक/पोस्ट आंफिस में प्रचलित खातों में निर्धारित अवधि में किया जावेगा।

5. **निरीक्षण एवं निगरानीः** इंजिनियर्ड ग्रेवल सड़के बनाया जाना एक तकनीकी कार्य है अतः इस कार्य की निगरानी गंभीरता से की जाना होगी। इस कार्य की निगरानी के लिए निम्नलिखित विशेष निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जाएः

(a). जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत यह सुनिश्चित करेगे कि प्रत्येक जनपद पंचायत स्तर पर इस योजना में संपन्न किये जाने वाले कार्यो की सूची तुरंत तैयार हो एवं कार्य के आकार के आधार पर नियमानुसार तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृतियॉ जारी होवें।

(b). मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पूर्ण समन्वय स्थापित करते हुए निर्माण कार्यो को अतिशीघ्र प्रारंभ करवाया जाकर समय से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करेगे एवं इन कार्यो की सघन निगरानी सुनिश्चित करेगे।

(c). ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्रियों की भूमिका इस कार्य हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण कार्यो से संबंधित प्रयोगशाला तथा फील्ड टेस्टिंग यथा समय संपन्न हो एवं बिना यह सुनिश्चित किये कि उपयुक्त सामग्री तथा आवश्यक वाटरिंग एवं काम्पेक्शन के कोई भी कार्य संपन्न न हो। यह तथ्य सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालन यंत्री अपने क्षेत्राधिकार मे संपन्न हो रहे निर्माण कार्यो मे से प्रतिमाह कम से कम 10 प्रतिशत कार्यो का निरीक्षण कर उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करवायेगे।

(d). प्रत्येक सहायक यंत्री मनरेगा/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (जिसका भी कार्य क्षेत्र हो) इन कार्यो में प्रयोगशाला तथा फील्ड टेस्टिंग यथा समय संपन्न करवाने एवं उपयुक्त सामग्री तथा आवश्यक वाटरिंग एवं काम्पेक्शन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगें। सहायक यंत्री द्वारा 30 से.मी. मोटाई में मिट्टी कार्य संपन्न होने पर तथा कार्य पूर्ण होने पर स्वयं मापो की जांच की जावेगी एवं माप–पुस्तिका पर इस तथ्य का प्रमाण पत्र अंकित किया जावेगा कि सम्पादित कार्य निर्धारित तकनीकी मापदण्डो के अनुरूप है। सामग्री मद के भुगतान के सत्यापन के समय ही सहायक यंत्री यह सुनिश्चित कर लेवे कि कार्य की गुणवत्ता हेतु उक्त कार्यवाही संपन्न हुई है।

6. **ग्रेवल रोडस् का संधारणः** प्रत्येक सड़क के निर्माण कार्य भाग–1 के पूर्ण हो जाने पर सड़क मे आवागमन प्रारंभ किया जावेगा। नियमित संधारण भाग–2 कार्य का प्राक्कलन सामान्य परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण के प्राक्कलन के साथ ही तैयार किया गया है जिसमें अनुमानित कार्य का विवरण दिया गया है। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत प्रत्येक 3 माह में एक बार ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियो द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जावेगा एवं ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यकतानुसार संधारण कार्य संपन्न कराया जावेगा। संधारण कार्य का मांपकान कार्य होने पर उपयंत्री द्वारा किया जावेगा एवं ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा।

7. योजना का कियान्वयन एकीकृत प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के आधार पर किये जाने हेतु लेबर बजट तैयार किया जाता है, जिसमें कई गतिविधियों के कार्य ग्राम पंचायत के एसओपी में शामिल रहते है। अतएव ग्राम पंचायत के वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत लेबर बजट कि कुल राशि का सामान्यतः 25 % अंश की सीमा में इस उपयोजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में व्यय किया जाना उचित होगा। विशेष परिस्थितियों में जिला कार्यक्रम समन्वयक की अनुमति से अधिक व्यय किया जा सकेगा।

शासन का यह एक महत्वाकांक्षी कदम है अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रोजेक्ट मोड मे इस उपयोजना के निर्माण कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एवं अभिसरण से यथाशीघ्र प्रारंभ हो जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि सड़के इंजीनियर्ड अर्दन रोडस के रूप में ही बने एवं उनकी गुणवत्ता से किसी भी परिस्थिति में समझौता न किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
एवं आदेशानुसार

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./ 9582 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2013 भोपाल, दिनांक 17/12/2013

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय, भोपाल।
5. सदस्य सचिव, राज्य योजना मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल।

6. अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन भोपाल।
8. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
9. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
10. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
11. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
12. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
13. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।
15. समस्त सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्यप्रदेश।
16. समस्त उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा, मध्यप्रदेश।

प्रति,

17. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
18. निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत सुदूर ग्राम संपर्क उपयोजना के अंतर्गत ग्रेवल मार्ग मय पुल–पुलिया निर्माण सहित लिये जाने हेतु मागो का चिन्हांकन

राज्य
जिला
जनपद

सरल क.	ग्राम पंचायत	रोड संख्या	प्रस्तावित ग्रेवल सडक					प्रस्तावित ग्रेवल सडक की स्थिति				लाभान्वित होने वाले ग्राम/मजरे – टोले/कृषि उपज उत्पादन केन्द्र		भूमि का प्रकार (शा./वन/निजी)	भूमि की उपलब्धता	अभिसरण का प्रकार व कार्यक्रम/मद का नाम	
			कहां से प्रारंभ	कहां तक अंत	पुल–पुलियों की संख्या	कुल लंबाई (किमी में)	अनुमानित लागत (रू लाख में)	PMGSY अंतर्गत प्रस्तावित है या नहीं	CMGSY अंतर्गत प्रस्तावित है या नहीं	PWD अंतर्गत प्रस्तावित है या नहीं	MGNREGA अंतर्गत पूर्व में निर्मित की गई है या नहीं	नाम	जनसंख्या			प्रकार	कार्यक्रम/मद
								लंबाई	लंबाई	लंबाई	स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
योग																	

नोट : प्रत्येक ग्राम में बेहतर सडक संपर्कता के दृष्टिगत ग्राम वासियों के साथ सरपंच/सचिव ग्राम रोजगार सहायक एवं उपयंत्री द्वारा वाक थ्रू सर्वेक्षण कर प्रस्तावित ग्रेवल सडकों को चिन्हित किया जावे। सडकों के चिन्हांकन में सडक कहां से प्रारंभ होकर कहां समाप्त हो रही है, इसे परमानेन्ट लेन्ड मार्क का उल्लेख किया जावे न कि किसी ग्राम, नाला आदि की ओर अंकित कर खुला छोडा जावे।

2.प्रस्तावित ग्रेवल सडकों के चिन्हांकन के समय यह ध्यान रखा जावे कि पूर्व से निर्मित BT या CC के GSB सडक के समानांतर सडक प्रस्तावित नहीं की जावे।

3. PMGSY/CMGSY/PWD के द्वारा प्रस्तावित या पूर्व में निर्मित सडक की स्थिति खराब होने के कारण भी इस उपयोजना के तहत नहीं की जाना है।

4. महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्ष 2006–07 से 2012–13 तक निर्मित सडकों को भी इस उपयोजना के तहत पुनः चिन्हित नहीं किया जाना है। मनरेगा अंतर्गत पूर्व वर्षो में स्वीकृत एवं वर्तमान में अपूर्ण प्रदर्शित हो रही सडकों में यदि स्वीकृत प्राक्कलन में पुल–पुलिया निर्माण कार्य छुट गया है, तब से शामिल करते हुये पुनरीक्षित स्वीकृति जारी कर गुणवत्तायुक्त बारहमासी सडक का निर्माण किया जा सकेगा।

5. उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये इस उपयोजना को ग्रेवल सडकों को चिन्हांकित किया जाकर ग्राम सभा के अनुमोदन सहित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा। तदोपरांत शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में इन कार्यो को शामिल किया जा सकेगा।

6. ग्राम पंचायत के स्वीकृत लेबर बजट की राशि का अधिकतम 25 % अंश ही एक वित्तीय वर्ष में ग्रेवल सडकों के निर्माण पर व्यय किया जा सकेगा। अपरिहार्य कारणों से 25 % अंश में यदि एक सडक का कार्य पूर्ण नहीं हो सकने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन प्राप्त कर सडक निर्माण कर पूर्ण कराया जा सकेगा।

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
ग्राम रोजगार सहायक	**ग्राम पंचायत सचिव**	**उपयंत्री**

सत्यापित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ....., जनपद पंचायत.....द्वारा सुदूर ग्रामीण संपर्क उपयोजना के अंतर्गत चिन्हित ग्रेवल सडक निर्माण के प्रस्ताव PMGSY/CMGSY के अंतर्गत न हीं निर्मित किये गये न हीं अब तक आगामी वित्तीय वर्ष में निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
सहायक यंत्री (मनरेगा)	**कार्यपालन यंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)**	**महाप्रबंधक** म.प्र. ग्रामीण सडक परियोजना ईकाई ..... जिला.....